न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 5/2018 (डूंगरपुर आर्डर)

1. श्रीमती भूलकी बेवा मानिया मीणा, निवासी पाडी, तहसील साबला, जिला डूंगरपुर (राज.)
2. श्रीमती रकु पिता मानिया मीणा, निवासी पाडी, तहसील साबला, जिला डूंगरपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. नाथू पिता नानजी मीणा, निवासी पाडी/सारंगी, तहसील आसपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)
2. श्रीमती कडूॅव पत्नी नाथू मीणा, निवासी पाडी/सारंगी, तहसील आसपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)
3. भूमिधारी तहसीलदार साबला, जिला डूंगरपुर (राज.)

..... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू–राजस्व
अधि. – 1956 विरूद्ध निर्णय अति0 जिला
कलक्टर डूंगरपुर दिनांक 28–03–2018
प्रकरण संख्या 1/2016

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री लालसिंह चुण्डावत अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री प्रवीण शुक्ला अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं. 1 व 2
3– श्री पैरोकार सरकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3

———::———

निर्णय **दिनांक 30–10–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थीया/अपीलान्ट द्वारा विपक्षी/रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध प्रकरण संख्या 12/2012 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा पाडी की आराजी नंबर 102 में 3 बीघा 7 बिस्वा भूमि का जो आवंटन निांक 17–02–2016 को विपक्षी संख्या 1 व 2 को किया गया है, उस पर कब्जा विपक्षीगण का नहीं होकर प्रार्थीया का कब्जा है। इसलिए उक्त आवंटन निरस्त किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विपक्षीगण का जवाब लेने के बाद अपने निर्णय दिनांक 07–02–2014 से विपक्षीगण को किया गया आवंटन निरस्त किया, जिसके विरूद्ध विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा इस न्यायालय में अपील संख्या 1/2014 प्रस्तुत की गयी, जिसमें इस न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 09–02–2016 से अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त करते हुए प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को निम्नानुसार निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया :–

''हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व निर्णय का अवलोकन किया गया तो यह स्पष्ट आया कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट प्रार्थी द्वारा रेस्पोन्डेन्ट के पूर्वज मानिया को आराजी नंबर 102 में से साढे तीन बीघा भूमि आवंटित किये जाने का अप्रमाणित आज्ञा पेश शुदा है, जिससे यह आवंटन वर्ष 1975 का होना प्रकट है। उक्त आवंटन वर्ष 1975 के बाद आवेदन प्रस्तुत किये जाने के वर्ष 2012 तक अमद दरामद क्यों नहीं हुआ, इस बाबत् कोई तथ्य रेकार्ड पर नहीं है, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विवेचन यह किया गया है कि भूमि का अमल दरामद नहीं होना राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही है, परन्तु रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी द्वारा वर्ष 1975 से लेकर वर्ष 2012 तक अर्थात 37 वर्षो तक उक्त आवंटन पर निष्क्रिय रहना उक्त आवंटन के सद्भावी अथवा प्रमाणित होने को संदिग्ध करता है। तद्नुसार मानिया को उक्त आवंटन की प्रमाणिकता संदिग्ध है, क्योंकि आवंटन की प्रमाणित प्रति नहीं है। वहीं देखा जाये तो अधिनस्थ न्यायालय में पेश शुदा रेकार्ड अनुसार अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 1 व 2 को आराजी नंबर 102 में से 3 बीघा 7 बिस्वा भूमि का आवंटन दिनांक 17–02–2006 को आवंटन समिति द्वारा किया गया है एवं इसी दिनांक को प्रार्थी/रेस्पोन्डेन्ट को इसी आराजी में से 18 बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी/रेस्पोन्डेन्ट का मानिया को किया गया तथाकथित आवंटन साढे तीन बीघा व वर्तमान में वर्ष 2006 में प्रार्थी व विपक्षी दोनों को किया गया है, उससे कोई सहसंबंध नहीं है। आराजी नंबर 102 बड़ा रकबा था जिससे यह स्थापित रूप से नहीं कहा जा सकता कि मानिया को आवंटित आराजी नंबर 102 के साढे तीन बीघा भूमि का ही आवंटन विपक्षीगण/अपीलान्टगण को किया गया हो। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष किस प्रकार से निकाला गया कि मानिया को किया गया

आवंटन ही वर्तमान विपक्षीगण को किया गया आवंटन है, यह पेश शुदा साक्ष्यों से स्पष्ट नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय में मानिया का वर्ष 1975 में आराजी नंबर 102 की 4 बीघा भूमि पर कब्जा होने का धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का नोटिस रेकार्ड पर है एवं संवत् 2028, 2029 की खसरा गिरदावरी में भी मानिया का 4–4 बीघा भूमि पर कब्जा होना भी स्पष्ट है। वहीं विपक्षी नाथू द्वारा विभिन्न रसीदे पेश की गयी हैं, जिसमें वर्ष 2000, 2001, 2002, 2003 व 2004 में आराजी नंबर 102 की 2 बीघा भूमि उसका नाजायज कब्जा होना धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के नोटिसों से स्पष्ट है। अर्थात समग्र रूप से यह स्पष्ट है कि आराजी नंबर 102 में विपक्षीगण का आवंटन से तुरन्त पूर्व नाजायज कब्जा था तो फिर यह मानना की प्रार्थी/रेस्पोन्डेन्ट के पूर्वज मानिया को वर्ष 1975 में आराजी नंबर 102 में से किया गया साढे तीन बीघा भूमि का आवंटन ही वर्तमान विपक्षी/अपीलान्टगण को किया गया है, किसी प्रकार से पेश शुदा साक्ष्यों से मिलान नहीं करता है एवं तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दोष पूर्ण है व पेश शुदा साक्ष्यों का उपयुक्त विश्लेषण किया जाना प्रकट नहीं होता है एवं इस लिहाज से अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दोष पूर्ण होकर निरस्त किये जाने योग्य है। इस सम्बन्ध में रेस्पोन्डेन्ट द्वारा जो न्यायिक उद्धरण आर.आर.टी. 2007 (1) पेज 709, आर.आर.टी. 2008 (1) पेज 717, आर.आर. टी. 2015 (2) पेज 1080 प्रस्तुत किये गये हैं वह वर्तमान प्रकरण में चस्पा नहीं होते हैं।''

इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 1/2014 में उपरोक्त प्रेक्षण आदेशों के क्रम में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 1/2016 दर्ज किया जाकर उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 28–03–2018 से अपीलान्ट/प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 28–03–2018 से रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थीया द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 30–04–2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री प्रवीण शुक्ला उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 भूमिधारी तहसीलदार औपचारिक पक्षकार की ओर से पैरोकार सरकार ने उपस्थित होकर बहस में भाग लिया एवं प्रकरण में

राजकीय हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने की प्रार्थना की।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी एवं उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस में दोहराया एवं अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए निरस्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलार्थी द्वारा प्रमुख रूप से यह उजर लिया गया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटि पूर्ण है। आराजी नंबर 102 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर प्रार्थीया के पिता व पति मानिया पिता पांचिया का सन् 1970 से कब्जा काश्त चले आने से मिसल संख्या 1046 से दिनांक 28–12–1975 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा भूमि आवंटित की गयी। उक्त आवंटित भूमि पर मानिया अपने जीवनकाल में काबिज होकर काश्त करता रहा तथा उसकी मृत्यु के बाद से प्रार्थीया/अपीलान्ट काबिज चले आ रहे हैं। राजस्व कर्मचारियों से मानिया के नाम भूमि आवंटन होने के बाद राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज नहीं किया, जिसमें अपीलान्ट का कोई दोष नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं पुनिया तथा भेमजी के बयानों का ध्यान पूर्वक अवलोकन नहीं किया है। आवंटन की पत्रावली के अभाव में अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय के पृष्ठ संख्या 4 के अंतिम पैरा में लिखा है कि मानिया को आवंटन के वक्त आवंटन सलाहकार का कोरम पूर्ण नहीं था। आवंटन आदेश पर उपखण्ड अधिकारी के अलावा अन्य कमेटी के सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं है। आवंटन के समय कोरम पूर्ण नहीं होने बाबत् कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने के बावजूद अधिनस्थ न्यायालय ने कोरम पूर्ण नहीं होना मानकर निर्णय पारित करने में भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय ने मौके की रिपोर्ट भी तलब नहीं की है तथा प्रथम आवंटन को दरकिरान करते हुए त्रुटि पूर्ण निर्णय पारित किया है।

→ प्रकरण में हमारे द्वारा समायत शुदा बहस एवं इस न्यायालय के प्रतिप्रेक्षण आदेशों के क्रम में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि प्रकरण में प्रार्थीया/अपीलान्ट का

प्रमुख कथन यह है कि विपक्षी/रेस्पोन्डेन्ट को आवंटन किये जाने के पूर्व सन् 1975 में उक्त भूमि का आवंटन अपीलान्ट/प्रार्थीया के पति व पिता को किया गया। अतएवं पूर्व में उसके पति व पिता को आवंटन किये जाने के कारण विपक्षी/रेस्पोन्डेन्ट को आवंटन किये जाने का कोई महत्व नहीं है। प्रकरण में हमारे द्वारा यह पाया गया कि उक्त आवंटन की पत्रावली उपलब्ध ही नहीं है, तद्नुसार उक्त आवंटन की वैधता तथा वर्ष 1975 में आवंटन के बाद उक्त आवंटन का अमल दरामद नहीं होने तथा 37 वर्षो तक उसकी निष्क्रियता अत्यन्त आश्चर्य जनक प्रकट होती है। प्रकरण में आश्चर्य जनक रूप से यह भी प्रकट आता है कि इसी आराजी में विपक्षी/रेस्पोन्डेन्ट को वर्ष 2006 में आवंटन किये जाने की दिनांक को ही प्रार्थीया/अपीलान्ट के पूर्वज के पक्ष में भी 18 बिस्वा भूमि का आवंटन किये जाने के तथ्य को संदिग्ध करता है। प्रकरण में इस स्तर पर ऐसी कोई प्रभावी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह प्रकट नहीं होता है कि वर्तमान अपीलान्ट/प्रार्थीगण के पूर्वज को आवंटित की गयी भूमि में से ही विपक्षी/रेस्पोन्डेन्ट को भूमि आवंटित की गयी हो। इस न्यायालय के प्रतिप्रेषण आदेशों के क्रम में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों का पूर्ण विवेचन करते हुए जो निर्णय पारित किया है उसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अतिरिक्त जिला कलक्टर डूंगरपुर का आदेश दिनांक 28–03–2018 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक 30–10–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर